POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

हर साल 15 मार्च का दिन 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

गांवों में रहने वाले लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी हो। वे जागरूक बनें। अपनी और गांव की भलाई के लिए उनमें सवाल खड़े करने की हिम्मत जागे। इसी मकसद को लेकर 15 मार्च, 1983 से 'ग्राम गदर' छापना शुरू किया गया था।

राजस्थान में यह उपभोक्ता आन्दोलन का पहला ऐसा ग्रामीण भित्ती पत्र है, जो जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। मुझे खुशी है, गांव वालों की नजर में आज भी इस भित्ती-पत्र की उस समय से ज्यादा अहमियत है। गांव के लोग सरकारी विकास योजनाओं को समझने लगे हैं। उनसे फायदा भी उठा रहे हैं और गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वे योजनाओं की कमियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। इस भित्ती-पत्र के माध्यम से ग्रामीणों में अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ी है।

गांव वालों की नजर में यह आज भी उनके अधिकारों की जानकारी कराने और उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने में 'मील का पत्थर' साबित हो रहा है।

सरकारी विभागों, उपभोक्ता संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण बन्धुओं से प्राप्त पत्र इस तथ्य को उजागर करते हैं। वे इसमें छपी सामग्री को आम लोगों के लिए उपयोगी मानते हैं। मैं संस्था की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मां के पेट से लेकर मृत्यु तक हम सभी उपभोक्ता हैं !

- हम सभी उपभोक्ता हैं। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, वह उस वस्तु या सेवा का उपभोक्ता होता है। हर उपभोक्ता को अपने अधिकार प्राप्त हैं। सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। जिसमें उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था की गई है।

- अधिनियम में हर उपभोक्ता को सुरक्षा, जानकारी, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा स्वच्छ आबोहवा, रोटी, कपड़ा व मकान, शोषण विहीन अवसर और बहिष्कार के अधिकारों को अर्न्तराष्ट्रीय सदन ने तो मान्यता दी है, परंतु ये इस कानून में वर्णित नहीं हैं।
- जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं, तो विक्रेता हमें ठगने की कोशिश करता है। कम तौल, घटिया माल तथा अधिक कीमत, मिलावट और सेवा में गड़बड़ी जैसे कई उदाहरण है। यदि कोई ऐसी गड़बड़ी करता है या सही सेवा नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इन अदालतों में वकील करने की भी जरूरत नहीं होती। उपभोक्ता स्वयं अपनी पैरवी कर सकता है। अब हर राज्य में राज्य आयोग और हर जिले में उपभोक्ता मंच खुले हैं, जिनमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग दिल्ली में है जहां अपीलों व बड़े मामलों की सुनवाई होती है।
- हर उपभोक्ता को वस्तु एवं सेवा की खरीद करते समय रसीद या कैशमीमो अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

नाथू स्वीट्स को भारी पड़ा घटिया लड्डू बेचना

दिल्ली निवासी मोनिका के. सपरा ने नई दिल्ली जिला उपभोक्ता मंच में नाथू स्वीट्स के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि उनके द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए उन्होंने नाथू स्वीट्स को लड्डू तैयार कर सप्लाई करने को कहा था। उन्होंने लड्डूओं के दाम के तौर पर 25 हजार 920 रुपए भी नाथू स्वीट्स को दे दिए। समारोह के दिन उन्होंने सभी अतिथियों को लड्डू परोसे तो पता चला कि सप्लाई किए गए लड्डूओं में बदबू आ रही थी और वे खाने लायक नहीं थे। इससे अतिथियों के सामने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है।

सुनवाई पर मोनिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सही मानते हुए मिठाई बनाने वाले नाथू स्वीट्स की सेवा में कमी और खराब लड्डू सप्लाई करने का दोषी माना। मंच ने नाथू स्वीट्स को आदेश दिया कि वह लड्डूओं की कीमत 25,920 रुपए वापस करे। इसके अलावा वस्तु की खामी से ग्राहक मोनिका के. सपरा को हुई परेशानी और उनकी छवि को पहुंचे नुकसान की एवज में उन्हें 50 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति व परिवाद खर्च के 20 हजार रुपए भी अदा करें।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 33 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2014 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'जैविक खेती'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2014 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2015 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

'कट्स' उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का सदस्य

आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स इन्टरनेशनल' को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है। उक्त परिषद का गठन भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किया जाता है।

परिषद् का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों की राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा करना एवं इन मुद्दों की सरकार के समक्ष पैरवी करना एवं आवश्यक सुझाव देना है।

मिलावटियों के हौसले बुलन्द

प्रदेश में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू है। कानून के तहत मिलावट साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। लेकिन राज्य सरकार के ढुल-मुल रवैये के चलते पूरे प्रदेश में मिलावटियों के हौसले बुलन्द हैं।

मुंह-मांगे दाम देने के बावजूद बाजार में बिकने वाली वस्तु में क्या मिलावट मिल जाए, कोई नहीं जान सकता। प्रदेश में पूर्व में चलाए गए 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' भी मिलावट रोकने में खास कारगर साबित नहीं हुए। जबकि सम्बन्धित अधिकारी संसाधनों और कर्मचारियों की कमी बता कर पल्ला झाड़ रहे हैं।

जन-धन के साथ सेहत का बीमा

जन-धन योजना के बैंक खातों पर अब स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार कम प्रीमियम वाली स्कीम पर विचार कर रही है। इसमें आधार कार्ड की अहम भूमिका होगी। हालांकि प्रीमियम की राशि खाता धारक की आय के आधार पर तय होगी। स्कीम के अनुसार प्रीमियम की राशि खुद खाता धारक को देनी होगी।

जन-धन खातों में पहले से ही सरकार जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कवर दे रही है। यदि नई योजना को मंजूरी मिलती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में भी बदलाव हो सकता है।

पैक्ड फूड खरीदते समय रखे सावधानी

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों (पैक्ड फूड) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा फूड सेफ्टी गाइड लाइन जारी की हुई है। गाइड लाइन के अनुसार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों (पैक्ड फूड) की लेबलिंग व पैकेजिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए। उत्पादक को पैकेट पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित पूरी जानकारी देनी होती है।

पैकेट पर खाद्य वस्तु में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नाम व मात्रा आदि का उल्लेख अनिवार्य है तथा इस्तेमाल किए गए प्रिंवेटिव का नाम, उम्र के अनुसार इस्तेमाल की मात्रा तथा उसे संरक्षित रखने का तरीका दर्शाना होता है। पैकेट पर लिखा होना चाहिए कि वस्तु का उपयोग किस तिथि तक किया जाना है।

नहीं हुआ श्रमिकों का कल्याण

कोष में 820 करोड़ रुपए होने के बावजूद प्रचार-प्रसार के अभाव में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों का कल्याण नहीं हो रहा। हर साल प्रदेश में निजी, सरकारी निर्माण कार्यों से एक प्रतिशत सेस से 150 से 200 करोड़ की राशि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के पास जमा हो रही है।

अब तक इस कोष में 820 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन इस कोष से मात्र 59 करोड़ रुपए ही श्रमिक कल्याण पर खर्च हो सके हैं। मण्डल अध्यक्ष एवं श्रम व नियोजन राज्य मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टी.टी. ने इस पर अफसोस जताया है और कोष से श्रमिकों के कल्याण पर खर्च करने के निर्देश दिए हैं।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

उपभोक्ता सुरक्षा पर सवालिया निशान

प्रदेश में नसबन्दी शिविरों में चिकित्सकों की लापरवाही से कई माताएं मौत की ग्रास बन गई। जहरीली शराब से अनेक लोगों ने दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटनाओं में कितने ही लोग जान गंवा बैठते हैं। खाद्य पदार्थों में धड़ल्ले से हो रही मिलावट भी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं है।

स्कूली बच्चे नुकसानदेय फास्ट फूड, खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन से कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन उन्हें भ्रमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सब पर नियंत्रण के लिए कानूनों में प्रावधान तो हैं, लेकिन प्रशासनिक विफलता के चलते सब बेमानी साबित हो रहा है।

-जी.के. भारद्वाज, मानसरोवर, जयपुर

जैती जीत गई चुनावी जंग

'कट्स' मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा द हंगर प्रोजेक्ट के सहयोग से पंचायतीराज चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा जिले की सुवाणा ब्लॉक व चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा व चित्तौड़गढ़ ब्लॉक की 108 पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इनमें 24 हजार 795 महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से महिलाओं का हौंसला बढ़ा। जिनमें से एक उदाहरण जैती देवी जटिया है, जिसने सेमलिया पंचायत के सेगवा गांव से वार्ड तीन से चुनाव लड़ा और विजयी हुई।

आज वह कहती है कि 'कट्स' संस्था एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने पर उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। उसका कहना है कि उसकी यह जीत महिलाओं के अधिकारों की जीत है। महिलाएं घर को ही नहीं पंचायत को भी चला सकती हैं।

'स्वस्थ आहार' सेहत का आधार

'पहला सुख निरोगी काया' यह तभी संभव है जब सभी लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो। आज पूरी दुनिया में चाहे विकसित देश हों या विकासशील देश, चाहे अमीर हो या गरीब सभी के लिए स्वस्थ आहार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। फलस्वरूप अधिक वजन और मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तशर्करा और उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल व कैंसर जैसी बीमारियां मौत के नजदीकी कारणों से जुड़ी हैं, जो अस्वास्थ्यप्रद भोजन की देन है।

मुद्दे की महत्ता देखते हुए कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल द्वारा इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 'स्वस्थ आहार' विषय पर आधारित है

मद्देनजर उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2015 को 'स्वस्थ आहार' के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। साथ ही उपभोक्ता संस्थाएं भी उनके अधिकारों, सुरक्षा व उनकी निजता पर चर्चा करें और इस विषय पर गोष्ठियां, रैली, कार्यशाला जैसे आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक करें।

कृपया आप द्वारा आयोजित कार्यक्रम की रिपोर्ट हमें भी भिजवाएं।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485